"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 सितम्बर 2007—भाद्र 12, शक 1929

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-30/18/2006.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़ नगर पालिक नगर विकास निधि-नियम 2003" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, प्रतिस्थापित किया जाए,

"नगरीय निकायों को उस निकाय के लिए वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या के आधार पर न्यागमन खाते से, 26 रु. प्रति व्यक्ति चुंगी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा. यदि किसी नगरीय निकाय को दर्शाये मापदंड से अधिक राशि प्राप्त हो रही है तो उनकी राशि कम नहीं की जायेगी. भविष्य में यदि राज्य सरकार उचित समझे, तभी बढ़ोत्तरी की जावेगी."

(2) नियम 8 के उपनियम (2) का लोप किया जाए.

Raipur, the 3rd September 2007

NOTIFICATION

No. F-5-30/18/2006.—In exercise of the powers conferred by Section 433 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following amendment in the rules, "Chhattisgarh Municipal Urban Development Fund Rules, 2003" namely :—

AMENDMENT

In said Rules :-

(1) For sub-rule (1) of Rule 8 the following sub-rule shall be substituted.

"Urban bodies shall be paid 26 Rs. per person Octori compensation from the devolution account on the basis of total population of year 2001 for that body. If any urban body is getting more than the mentioned criteria even than their amount will not be reduced. In the future enhancement shall only be done if State Government thinks fit."

(2) Sub-rule (2) of Rule 8 shall be ommitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.